न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
1/99/17	23–10–2017	24–07–2018

1. सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. वहीद पुत्र छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम मालब तहसील नूँह जिला मेवात हरियाणा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, 8 आर0बी0एक्ट में जप्तशुदा गौवंश के निस्तारण बाबत

उपस्थितः–

01. श्री हेम राज गुप्ता –वकील (प्रार्थी सुपुर्ददार)

::––निर्णय––::

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी फैस तृतीय जिला अलवर द्वारा एफ0आई0आर0 नम्बर 402/17 अन्तर्गत धारा 5, 8 आर0बी0एक्ट में प्रार्थी ने जब्त शुदा नग 90 जिनमें, गायें बछिया को सुपुदर्गी में दिये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :–

थानाधिकारी पुलिस थाना, भिवाडी फैस तृतीय जिला अलवर ने अपने पत्रांक 151 दिनांक 18–01–2018 द्वारा अवगत कराया है कि थाना हाजा पर दर्ज एफ0आई0आर नम्बर 402/2017 अन्तर्गत धारा 5, 8 आर0बी0एक्ट के अनुसार दिनांक 18–09–2017 को मुखबिर खास सूचना मिली की कुछ लोग गायों को गौ तस्करी के लिए ग्राम पथरेडी से गन्धोला की तरफ हरियाणा की लिये गौ तस्करी के लिये लेकर जा रहे है। इस इतला पर उ0नि0 श्री पाल सिंह मय ओमप्रकाश हैडकानि0, श्री जोरमल कानि, श्री मनोज कानि0 श्री सुरेन्द्र कानि0, श्री उपेन्द्र कानि0, मय सरकारी चालक भरत मय एक पिस्टल 10 कारतूस, दो एसएलआर मय 10–10 कारतूस के थाना से रवाना होकर तलाश करता हुआ मदरसन कम्पनी से आगे गन्धोला के जंगल में पहुंचा तो गाय बछडो के झुण्ड को पैदल–पैदल ले जाते हुए तीन व्यक्ति नजर आयें जिनको हमराही जाप्त की मदद से घेरा देकर पकडा व नाम व पता पूछा तो (एक) ने अपना नाम आस मौहम्मद पुत्र सुलमान जाति मुसलमान निवासी सोनुपर (हाजीपुर के पास) थाना देसरी जिला वैशाली बिहार, (दौ) आबिद पुत्र फत्ते खॉ जाति मेव निवासी झिवाणा थाना भिवाडी ।।। जिला अलवर तथा (तीन) मोहम्मद अजरूदीन पुत्र मोरमल जाति मेव निवासी कुन्तलाका थाना नूँह जिला नूँह मेवात (हरियाणा) बताया। उक्त शख्सों से पूछा तो बताया कि उक्त

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

गाय–बछडों को नूँह हरियाण लेकर जा रहे है गाय बछडों को हरियाणा ले जाने सम्बन्धी परमिट/अनुज्ञा पत्र पूदा तो अपने पास कोई परमिट/अनुज्ञा पत्र नही होना बताया, बिना परमिट/अनुज्ञा पत्र के गाय बछडों को गौ कसी के लिए राजस्थान से हरियाणा प्रान्त में लेकर जाना जुर्म धारा 5, 8 आर0बी0एक्ट0 की तारीख में आना पाये जाने पर कुल 68 छोटे बडे गौ वंश को जरिये जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया प्रकरण दर्ज कराया गया। मुल्जिमान द्वारा गाय व बछडों को गौकशी के लिए ले जाना पाया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट नम्बर 405/17 दिनांक 29–09–2017 धारा 5, 8 आर0बी0एक्ट0 में किता की जाकर जरिये रोड नम्बर 153/17 दिनांक 13–10–2017 को चार्जशीट अदालत श्रीमान एमजेएम भिवाडी जिला अलवर में पेश की जा चुकी है, जो विचाराधीन न्यायालय है। वहीद ने अपने प्रार्थना पत्र में 90 गोवंश का जिक्र किया है जबकि प्रकरण में कुल 68 छोटे बडे गौवंश जप्त किये है जो उसी समय बाबा मोहनराम गौशाला मिलकपुर में जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई है। परिवादी वहीद गौपालक प्रमाण पत्र के जरिये नाजायज तरीके से गौवंशो का सुपुर्दगी पर लेना चाहता है जो न्यायोचित नहीं है।

वहीद पुत्र छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम मालब तहसील नूँह जिला मेवात हरियाणा ने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मुकामी पुलिस ने प्रार्थी की उक्त गायों को रात के समय ग्वाडे विधि विरूद्व तरीके से उठाकर झूठां मुकदमा दर्ज किया है। प्रार्थी ग्राम मालब तहसील नूँह जिला मेवात का रहने वाला है और अपनी उक्त पशुधन को चराने के लिए पैदल पैदल अपनी रिश्तेदारी ग्राम झिवाणा में लेकर आया हुआ था, और अपने पशुधन को रिश्तेदारों के ग्वाडे में बांधे थे बिना किसी अपराध के मुकामी पुलिस ने प्रार्थी के उक्त पशुधन को अपनी अभिरक्षा में लिया है। प्रार्थी अपने पशुधन का स्वामी है सुपुर्दनामा पर लेने के लिए अधिकृत एवं सक्षम व्यक्ति है। प्रार्थी काफी समय से पशुधन व दूध पालन का कार्य करता आ रहा है तथा गोपालक पुरूस्कार, मेवात के सौजन्य प्रार्थी को सम्मानित कर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 13–09–2015 को भी सम्मानित किया है। गाय व बछडों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड रहा है तथा चारा–पानी की भी कोई व्यवस्था नही होने से मर जाने की संभावना है। वहीद गौपालक प्रमाण पत्र, हलफनामा, डाक्टर का प्रमाणपत्र, सदस्य प्रदेश कार्यसमिति का प्रमाणपत्र, एवं नकल जमाबन्दी की प्रति पेश की गई। अतः जब्त रहने से प्रार्थी को भारी असुविधा हो रही है। इसलिए उक्त जब्तशुदा गाय व बछडों को सुपुर्दनामा पर दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील प्रार्थी सुपुर्ददार की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया व प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा विचार किया। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थाई प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा– 7(1) में स्पष्ट किया गया है कि ''जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहीत किये जावें तो अभिगृहीत किये गये गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक ऐजेन्सी को या राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शासित किसी गोशाला या किसी गोसदन को सोंपी जा सकेगी।'' धारा–7 में अभिगृहीत गोवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। जब तलाशी, अभिग्रहण या निरीक्षण के दौरान गोवंशीय पशुओं को अभिगृहीत किया जावे तो उन्हें मामले के अन्तिम निपटारे तक निम्नांकित में से किसी को सुपुर्द किया जा सकेगाः–

(i) गोवंशीय पशुओं के कल्याण के लिए कार्यरत मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन या एजेन्सी,

(ii) राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अधीन शासित गोशाला,

(iii) ऐसा कोई गोसदन, अथवा

(iv) इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गो–सदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को।''

उक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक जप्तशुदा गौवंश को प्रकरण से संबंधित व्यक्ति को दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दनामा खारिज किया जाता है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय जिला अलवर से प्राप्त पत्र के आधार पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रर्वजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा गौवंश को बाबा मोहनराम गौशाला मिलकपुर तहसील तिजारा जिला अलवर की सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय जिला अलवर को निर्देश दिये जाते है कि यदि उक्त गौशाला में गौवंश अधिक मात्रा में हो तो उक्त गौवंश अन्य किसी नजदीकी गौशाला को सुपुदर्गी में दिये जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाडी फेज तृतीय जिला अलवर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24–07–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)